रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

19

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

No. 547] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 792(अ).—केन्द्र सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1984 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1984 में,

(i) नियम 16 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाएगा अर्थात् :—

"(4) कोई भी कर्मचारी जिसने बीस वर्ष की आर्हक सेवा पूरी न की हो वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन माह की लिखित सूचना देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है ।

(5) कोई भी कर्मचारी जिसने उपनियम (4) के अन्तर्गत बोर्ड से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो, वह तेल उद्योग विकास बोर्ड नियम (पेंशन), 1990 के अन्तर्गत पेंशन का हकदार होगा ।";

(ii) नियम 20 के उपनियम (i) में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

क्रम सं.	पद का विवरण	तदनुरूप वेतन बैंड	ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	सचिव	अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और उसका वेतन भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।		1
2.	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	37400-67000	8700 (पीबी -4)	1
3.	उप मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी	15600-39100	7600 (पीबी -3)	2
4.	वरिष्ठ लेखा/ प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100	6600 (पीबी -3)	1
5.	प्रबन्धक (संपदा)	15600-39100	6600 (पीबी -3)	1
6.	प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)	15600-39100	6600 (पीबी -3)	1
7.	हिन्दी अधिकारी	15600-39100	5400 (पीबी -3)	1
8.	लेखा अधिकारी	9300-34800	4800 (पीबी -2)	2
9.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800	4600 (पीबी -2)	3
10.	लेखाकार	9300-34800	4600 (पीबी -2)	1
11.	आशुलिपिक श्रेणी 'ख'	9300-34800	4600 (पीबी -2)	4
12.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	9300-34800	4200 (पीबी -2)	2
13.	सहायक	9300-34800	4200 (पीबी -2)	2
14.	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	5200-20200	2400 (पीबी -1)	1
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	5200-20200	2400 (पीबी -1)	2
16.	अवर श्रेणी लिपिक	5200-20200	1900 (पीबी -1)	3
17.	स्टाफ कार चालक(चयन श्रेणी)	5200-20200	2400(पीबी -1)	1
18.	चपरासी	4400-7440	1300 1 एस	1

पदों का वर्गीकरण

क्रम सं.	पदों का वर्गीकरण	पदों का विवरण
1	ग्रुप ए	एक केन्द्रीय सिविल पद जिसमें निम्नलिखित वेतन ग्रेड हैं :- पीबी -4 में वेतनमान रू 37400-67000 में रू 10000, रू 8900, तथा रू 8700 एवं पीबी -3 में वेतनमान 15600-39100 में रू 7600, रू 6600 तथा रू 5400
2	ग्रुप बी	एक केन्द्रीय सिविल पद जिसमें निम्नलिखित वेतन ग्रेड हैं :- पीबी -2 में वेतनमान रू 9300-34800 में रू 5400, रू 4800, रू 4600 तथा रू 4200
3	ग्रुप सी	एक केन्द्रीय सिविल पद जिसमें निम्नलिखित वेतन ग्रेड हैं :- पीबी -1 में वेतनमान रू 5200-20200 में रू 2800, रू 2400, रू 2000, रू 1900 तथा रू 1800
4	ग्रुप डी (जब तक पदोन्नयन नहीं होता)	एक केन्द्रीय सिविल पद जिसमें निम्नलिखित वेतन ग्रेड हैं:- 1 एस में वेतनमान रू 4400-7440 में रू 1300, रू 1400, रू 1600, रू 1650"

[फा. सं. जी-34026/3/2009-वित्त-II]

विजय सेठी, उप-सचिव

टिप्पणी : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 12 जुलाई, 1984 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 509(अ), द्वारा किए गए थे और इसके पश्चात् निम्न अधिसूचनाओं में संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1988

2. सा.का.नि. 24(अ) दिनांक 13 जनवरी, 1988

3. सा.का.नि. 372(अ) दिनांक 30 जून, 1998

4. सा.का.नि. 505(अ) दिनांक 21 अगस्त, 1998

5. सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 7 अगस्त, 2001

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th, September, 2010

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984.—

(i) in rule 16, for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(4) Any employee who has put in not less than 20 years of qualifying service may, by giving a notice of not less three months, in writing, to the appointing authority, retire voluntarily from service.

(5) Any employee who retires voluntarily from service of the Board under sub-rule (4) shall be entitled to draw pension as admissible under the Oil Industry Development Board Employees' (Pension) Rules, 1990.";

(ii) in rule 20, for sub-rule (1), for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Serial Number	Description of post	Corresponding Pay Bands	Grade Pay and Pay Band	Number of posts sanctioned
1.	Secretary	Under sub-section (3) of section 5 of the Act, the Secretary is to be appointed by the Central Government and his/her salary is also to be fixed by the Government.		1
2.	Financial Adviser and Chief Accounts Officer	37400-67000	8700 (PB-4)	1
3.	Deputy Chief Finance and Accounts Officer	15600-39100	7600 (PB-3)	2
4.	Senior Accounts/ Administrative Officer	15600-39100	6600 (PB-3)	1
5.	Manager (Estate)	15600-39100	6600 (PB-3)	1
6.	Manager (Personnel and Administration)	15600-39100	6600 (PB-3)	1
7.	Hindi Officer	15600-39100	5400 (PB-3)	1
8.	Accounts Officer	9300-34800	4800 (PB-2)	2
9.	Section Officer	9300-34800	4600 (PB-2)	3
10.	Accountant	9300-34800	4600 (PB-2)	1

11.	Stenographer Grade 'B'	9300-34800	4600 (PB-2)	4
12.	Stenographer Grade 'C'	9300-34800	4200 (PB-2)	2
13.	Assistant	9300-34800	4200 (PB-2)	2
14.	Stenographer Grade 'D'	5200-20200	2400 (PB-1)	1
15.	Upper Division Clerk	5200-20200	2400 (PB-1)	2
16.	Lower Division Clerk	5200-20200	1900 (PB-1)	3
17.	Staff Car Driver (Selection Grade)	5200-20200	2400 (PB-1)	1
18.	Peon	4400-7440	1300 -1S	1

Classification of Posts

Serial Number	Classification of posts	Description of Posts
(1)	(2)	(3)
1.	Group A	A Central Civil post carrying the following grade pays:- Rs.10000, Rs.8900 and Rs.8700 in the scale of pay of Rs.37400-67000 in Pay Band-4, and Rs.7600, Rs.6600 and Rs.5400 in the scale of pay of Rs.15600-39100 in Pay Band-3
2.	Group B	A Central Civil post carrying the following grade pays:- Rs.5400, Rs.4800, Rs.4600 and Rs.4200 in the scale of pay of Rs.9300-34800 in Pay Band-2.
3.	Group C	A Central Civil post carrying the following grade pays:- Rs.2800, Rs.2400, Rs.2000, Rs.1900 and Rs.1800 in the scale of pay of Rs.5200-20200 in Pay Band-1.
4.	Group D (till the posts are upgraded)	A Central Civil post carrying the following grade pays:- Rs.1300, Rs.1400, Rs.1600, Rs.1650 in the scale of pay of Rs.4440-7440 in 1S Scale."

[F. No. G-34026/3/2009-Fin. II]

V.K. SETHI, Dy. Secy.

Footnote : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 509(E), dated the 12th July, 1984 and subsequently amended *vide* the following notifications :—

(i) G.S.R. 23(E), dated the 12th January, 1988;

(ii) G.S.R. 24(E), dated the 13th January, 1988;

(iii) G.S.R. 372(E), dated the 30th June, 1998;

(iv) G.S.R. 505(E), dated the 21st August, 1998;

(v) G.S.R. 594(E), dated the 7th August, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.